

साक्षि
(सजीव कुमार सिंह)

26

प्रतिनिधि-प्रधानाचार्य/निदेशक, केंद्र रूर विश्वविद्यालय कोलकाता और कर्नाली, महकपुर, जौनपुर।

तद दिनांक: 15-5-2018

पुसं-0-प्राधिप/परिषद सम्बद्धता/2018/889-1518

साक्षि
(सजीव कुमार सिंह)

- ✓ प्रतिनिधि द्वारा यह सत्र 2018-2019 हेतु कीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है। तो कीस की नवीनता दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था की (उपरोक्त) प्राविधिक शिक्षा समितियाँ तथा उप समितियाँ, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना।
- ✓ नियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता श्रेणिक जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को 10000000000 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं प्राविधिक शिक्षा, उ०५०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०५० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०५० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कर्नल प्रवेश परीक्षा परिषद की संस्थाएँ यह धी-सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में संस्था उत्तरदायित्व संस्था का होगा और प्राविधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संस्था प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कर्नल प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवंटित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्राप्त होने के पूर्व 10000000000 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमोदित नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनता आदेशों/नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की संस्था की प्रतीक प्रदर्शन एवं संस्था की ऐतिहासिक प्रतीक, स्टाफ, मान-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शिल्प, छात्रावास शिल्प आदि का निरक्षण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त बालावस्था उपलब्ध कराने के साथ ही संस्था के संयोजकों में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित ही ले कि संस्था में परतर्गत/संचालित परियोजनाओं को चलाये जाने हेतु निरीक्षण प्रतिनिधि के समक्ष उपलब्ध करायें गये अभिलेख, भूमि-भवन, कर्नल, कर्नल, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य परियोजना के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था को सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किचे जाने की आवश्यकता होगी।